


13.06.19

वकील अपीलार्थी उप.। बहुराज मदन  
क्रिया। पत्रावली न्यायालय एवं <sup>पत्रा.</sup> अपीलार्थी न्यायालय  
का अवलोकन किया। मिसल इशालत मातहत में  
संलग्न निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला  
कलेक्टर, शवाई माधोपुर से स्पष्ट है कि  
अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या-22/18  
निर्णय दिनांक 28.03.18 से खारिज की जा चुकी  
है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य  
को छुपाते हुए पुनः नये सिरे से पेश की  
गई अपील CPC की Section 11 के तहत  
Res-Judicata की श्रेणी में आने के कारण  
अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

पत्रावली फेंसलशुमार होकर नंबर से  
कम हो एवं बाद तकमील जमा जिला-  
अभिलेखागार हो। मिसल इशालत मातहत  
पुथक का संबंधित न्यायालय को भिजवाई  
जावे।

यह निर्णय से इजलास आज दिनांक-  
13.06.18 को सुनाया गया।

  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी (स०मा०)